

a.3
2.4
+ 3

श्री श्री गुरु राम राय,
जय राय,
उत्तर प्रदेश शासन ।

देवा में,

विषय:-
श्री गुरु राम राय परामर्श
विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
प्रति निदेश नं० दिनांक १/१२/७३

विभाग 171 अनुभाग

1973/ दिनांक/23 दिसम्बर, 1973

विषय:- श्री गुरु राम राय परामर्श विभाग द्वारा श्री गुरु राम राय को नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कृपया निदेश हुआ है कि श्री गुरु राम राय परामर्श विभाग द्वारा श्री गुरु राम राय को नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीयन सीताद्वी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रेष्ठों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न श्रेष्ठों के लिए नियतित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बैठिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित सेवा माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैठिक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सेवा माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उसे परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा सम्बन्ध हो जायेगा ।
- 5- सेवा केविक एवं शिक्षण केविक कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण सेवाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असाहाय्य उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का ये नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर जो भी आदेश निर्गत किए जायें, वे तथा उनका प्रसारण होगा ।
- 8- विद्यार्थियों का शिक्षा निष्ठा/निष्ठापूर्वक प्रभाव/योजनाओं में रखा जाएगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रमाणित/निकाह बोर्ड परिवर्तन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

2- प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का आयोजन द्वारा परीक्षा निर्धारित किया जाय विद्यार्थियों में ही जायेंगे के रूप में परीक्षाओं को बना लायू करके उ माह के भीतर प्रसारण हो जाना होगा । तथा उक्त प्रमाणित/निकाह बोर्ड परिवर्तन को सुनिश्चित हो जाएगा ।

3- उक्त प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का प्रसारण करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर प्रसारण जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का प्रसारण नहीं किया जा रहा है अथवा प्रसारण करने में किसी प्रकार की वृद्ध या स्थिति प्रसारण जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रसारण प्रमाणित प्रमाण पर प्रसारण हो जाएगा ।

महोदय,

असोक गांधी ।
उप सचिव ।

पुणे 5321113/15-7-793 तद्विनायक
=====

2 प्रतिस्पर्धी निष्ठापूर्वक जो सुचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महोदय आ शिक्षा निदेशक, पंजाब, गुरुदास, ।
- 3- शिक्षा निदेशक, निदेशक, देहरादून ।
- 4- निदेशक, जम्मू भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- महोदय, आ महोदय, राज्य प्रमुख राजस्थान विहार देहरादून ।

आपका से,

Saur
असोक गांधी ।
उप सचिव ।